दिनांक 03.12.2025 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

आयुक्त ने स्कूल के समीप नशीली सामग्री विक्रय करने पर लगाया प्रतिबंध

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन–3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत स्कूल परिसर में निर्माणाधीन भवन, स्कूल परिसर के समीप मादक पदार्थ विक्रय पर कार्यवाही सहित सुलभ शौचालय एवं नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था के साथ पेयजल का सेंपल का जांच का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।

आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एवं जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता ने शारदा पारा के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में निर्माणाधीन नवीन भवन का निरीक्षण किये। स्कूली बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने निर्देशित किये हैं। स्कूल परिसर के 100 मीटर के भीतर नशीली सामग्री का विक्रय करने वाले दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। नशीली सामग्री पाये जाने पर जप्ती की कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया। इसी के साथ सार्वजनिक सुलभ शौचालय एवं वार्ड के नालियों की साफ–सफाई कराने निर्देशित किया गया है। पेयजल व्यवस्था के लिए पाईप लाईन बिछाया गया है, एक स्थान पर पाईप लिकेज पाया गया, पीने के पानी का सेंपल लेकर लैब में जांच हेतु भेजवाया गया। सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त का सभी दुकान संचालको से अपील है कि स्कूल परिसर से 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थ का विक्रय न करें। इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकारी स्कूल संस्थाओ को भी है। निगम द्वारा यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी दुकानदार के स्वयं की होगी।